इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 109] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च 2015—फाल्गुन 22, शक 1936

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2015

एफ 2-1-2015-1-चौंतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजपत्रित) नियम, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, विद्यमान नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

1. 8. **सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें** :—चयन के लिए पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

क. **आयु** :—(एक) न्यूनतम तथा अधिकतम आयु सीमाएं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार रहेगी. आयु की संगणना विज्ञापन की तारीख से आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को की जाएगी.

(दो) उच्चतर आयु सीमा नीचे दिये अनुसार शिथिलनीय होगी :—

(क) सामान्य प्रशासन विभाग, द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र के अनुसार मध्यप्रदेश शासन और राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारियों, स्वशासी निकायों, परियोजना क्रियान्वयन समितियों, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा कार्यभारित कर्मचारियों को शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा :

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 9 के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा :

(ग) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा :

(घ) मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक (राज्य सिविल सेवा और पद तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण) नियम, 1985 के नियम 5 के अनुसार मध्यप्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा :

(ङ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार निम्नलिखित प्रवर्गों के लिए शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा :—

(एक) विधवा/निराश्रित महिला/तलाकशुदा महिला;

(दो) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति;

(तीन) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक;

(चार) विक्रम पुरस्कार से पुरस्कृत खिलाड़ी;

(पांच) अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति-पत्नी;

(छह) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य प्रवर्ग;

टिप्पणी :—(1) किसी भी प्रवर्ग के लिए समस्त शिथिलीकरण सम्मिलित करते हुए अधिकतम आयु सीमा, किसी भी दशा में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियम 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा से अधिक नहीं होगी.

(2) उच्चतर आयु सीमा की संगणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-11/12/1/3/दिनांक 3-11-2014 और 20-11-2012 के अनुसार होगी.

ख. **शैक्षणिक अर्हता** :—अभ्यर्थियों के पास अनुसूची-तीन के कॉलम (5) के अधीन विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए.

ग. **फीस** :—अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

2. विद्यमान अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम (1)	सेवा तथा पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	उच्चतर आयु सीमा (4)	शैक्षणिक अर्हता (5)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.	सहायक यंत्री (सिविल).	18	40	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि अथवा उसके समकक्ष अर्हता. **समकक्ष योग्यता :—** ए.एम.आई.ई. (इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स कोलकता, भारत).
	सहायक यंत्री (मैकेनिकल).	18	40	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि या उसके समकक्ष अर्हता. **समकक्ष योग्यता :—** ए.एम.आई.ई. (इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स कोलकता, भारत).

No. F-2-1-2015-1-XXXIV.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Public Health Engineering [Gazetted] Rules, 1980, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, for the existing rule 8, the following rule shall be substituted, namely :—

1. 8. **Conditions for eligibility of direct recruitment.**—In order to be eligible for a selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :—

A. **Age** :—(i) Minimum and maximum age limit shall be in accordance with the notification issued by General Administration Department from time to time. Age shall be calculated on the first day of January of next following the date of advertisement.

(ii) The Upper age limit shall be relaxable as under :—

(a) Relaxation shall be admissible to employees of Government of Madhya Pradesh and State Corporations/Boards, Autonomous Bodies, employees working in Project Implementation Committees, Contigency paid employees and work charged employees as per circulars issued from time to time by General Administration Department, Government of Madhya Pradesh;

(b) Relaxation shall be admissible to native candidates of Madhya Pradesh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as per Circulars issued from time to time by General Administration Department, Government of Madhya Pradesh under rule 8 of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anushuchit jati, Anusuchit Jan Jati Aur Anya Pichhade Vargon ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994);

(c) Relaxation shall be admissible to native Woman candidates of Madhya Pradesh as per Madhya Pradesh Civil Service (Special provison for Appointment of Women) Rule, 1997;

(d) Relaxation shall be admissible to the ex-servicemen of natives candidate's of Madhya Pradesh as per rule 5 of Madhya Pradesh Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the State Civil Services and Posts Class III and Class IV) Rules, 1985;

(e) Relaxation shall be admissible to the following classes as per circulars issued from time to time by the General Administration Department :—

(i) Widow/Destitute Woman/Divorcee Woman;

(ii) Physically handicapped person;

(iii) Green Card holder under Family Planning programme;

(iv) Vikram Prize awarded Player;

(v) Awarded Superior Caste Partner of a couple under the Inter Caste Marriage incentive programme;

(vi) Other Categories specified by the General Administration Department.

NOTE :—(1) In any case, maximum age limit including all relaxations for any class shall not execed the maximum age limit 45 year fixed by the General Administration Department.

(2) The calculation of the upper age limit shall be as per the General Administration Department's Circular No. C-3-11/12/1/3/Dated 3-11-2014 and 20-11-2012.

B. **Educational qualification** :—Candidates must possess the educational qualifications prescribed under colum (5) of Schedule III.

C. **Fees** :—Candidates Must have to pay the fees prescribed by the Commission.

2. For the existing Schedule III, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-III
(See rule 8)

Name of Department (1)	Name of Service and Post (2)	Minimum Age Limit (3)	Upper Age Limit (4)	Educational Qualification (5)
Public Health Engineering Department.	Assistant Engineer (Civil).	18	40	A Degree in Civil Engineering or its equivalent qualification from recognised University. **Equivalent qualification** :— A.M.I.E. (Institution of Engineers India, Kolkata).
	Assistant Engineer (Machanical).	18	40	A Degree in Mechanical Engineering or its equivalent qualification from recognised University. **Equivalent qualification** :— A.M.I.E. (Institution of Engineers India, Kolkata).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.